काम है, सदियों में होने वाला काम है लेकिन अगर हम ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ हौसले के साथ और इस ईवान के हर एक मेम्बर की पूरी मदद के साथ उस काम को करना चाहेंगे तो हम उसको २५ या ५० वर्ष में पूरा कर के दिखा सकेंगे । अलबत्ता यह तबक्को न की जाय कि कोई छूमंतर की तरह यह काम हो जायगा और रात को सो कर जब सुबह उठेंगे तो हम यह काम खत्म हुआ देखेंगे । इस किस्म का खयाल आपको अपने मन में नहीं रखना चाहिए ।

इस साल बाढ़ से जो मुख्तलिफ जगहों पर तबाही और मुसीबत आई है, जैसे कि बिहार का मामला है, असम का मामला है, यू० पी० का मामला है और जैसा कि मेरे भाई श्री हनुमन्तैया ने मैसूर की बाढ़ के बारे में सदन का ध्यान दिलाया, खुदा करे ऐसा मंजूर वहां न हो लेकिन अगर वहां भी यही तबाही की हालत निकले तो मैं उनको सैंटर की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिनिस्टरी आफ इर्रीगेशन की पूरी खिदमात उनके डिस्पोजल पर होंगीं कि जैसे भी हो इस मुसीबत का सामना किया जाय और कामयाबी के साथ सामना किया जाय । मैं आप से अर्ज करता हूं कि एक-एक आदमी आप के लिए जान देने के वास्ते तैयार हो जायगा । जहां भी जरूरत होगी सैंटर बाढ़ के काम में पूरी मुस्तैदी से मुसीबतजदा लोगों की मदद करेगा । यह समझ कर कि यह उस स्टेट का काम है हम चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे बल्कि इसे हम पूरे देश का काम समझ कर करेंगे । कहीं भी मुसीबत आये और बाढ़ से तबाही आये हम उसे पूरे हिन्दुस्तान का काम समझ कर बतौर अपना फर्ज समझ कर करेंगे । मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूं ।

Mr Deputy-Speaker: The debate is over.

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, मैं ने यह मोशन रखा है . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह मोशन नहीं है यह तो डिस्कशन है ।

श्री बागड़ी : यह चर्चा का जो मैं ने मोशन रखा उस पर मिनिस्टर साहब ने ठीक उसी तरह से अपना जवाब दिया है जैसे कि अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल हंसी के गोलगप्पे रखा करते थे । हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उसी किस्म की एक मजाक की बात रखी है . . . (*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : कौन हंस रहा था ?

श्री बागड़ी : सारे लोग हंस रहे थे आप क्या बात कर रहे हैं ? लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह हंसने की बात नहीं है बल्कि रोने की बात है । सारा देश दुखी हो रहा है और आप मजाक उड़ा रहे हैं . . . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : यह बड़ी गलत बात है । हाउस बड़ा सीरियसली आनरेबुल मैम्बर की बात को सुन रहा है । यह बिल्कुल गलत बात उन की तरफ से कही जा रही है कि इस को हंसी मजाक में उड़ाया जा रहा है ।

श्री बागड़ी : हंस आप लोग रहे थे मैं नहीं हंस रहा था । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस पर जवाब का मौका मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिस्कसन है । जवाब देने का इस पर मौका नहीं है ।

The debate is over.

15.58 hrs.

MOTION RE: REPORT OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES COMMISSION

Mr. Deputy-Speaker: We will take up the next item. The hon. Home Minister.

Shri D. J. Naik (Panchmahals): Sir, I would request you that 4 hours allotted for the decision of the report

[Shri D. J. Naik]

are inadequate, so more time should be allotted. Our request is at least 5 hours should be allotted.

Some Hon. Members: 6 hours.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Some hon. Members request that more time be allotted for this.

Government have no objection because the House is going to sit till 6 O'clock today; that is, two hours today, and tomorrow there is non-official business and so 2½ hours will be there tomorrow. So, we can allot 4½ hours.

16 hrs.

Some Hon. Members: Five hours at least.

Shri Satya Narayan Sinha: In that case, the House will have to sit longer. The whole of tomorrow is not at our disposal; it is non-official day tomorrow. Whatever time we take more we will have to sit more, because 2½ hours are reserved for non-official business.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I am not coming in the way of extending the time but may I point out that in the Order Paper, there is an important item—Law and Order situation in Delhi. This is a matter of great importance and I hope it would not be pushed out by this discussion. . . (*Interruptions*).

Shri Harish Chandra Mathur: How are we to distribute the time?

Shri Satya Narayan Sinha: Hon. Members must understand the position. I have no objection to make it 4½ hours but how can we stretch it beyond five hours? It cannot be stretched beyond five hours.

Shri Hari Vishnu Kamath: If the hon. Members in whose names the Resolutions stand are agreeable to a postponement then we can take up the whole of the evening for both the items.

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Member can table another Motion.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not suggesting this about this motion; I am suggesting this about the Private Members' Resolutions. If we postpone this that matter will be relatively out of date. The crime situation in Delhi is very bad now and we have to focus the attention of Parliament and of Government on the crime situation.

Shri Ansar Harvani (Bisauli): The crime situation in Delhi is a continuing process; it will not be out of date if it is taken up afterwards.

Shri Hari Vishnu Kamath: I hope it will not be a continuous process; and that by our action here it will be curbed.

Shri Harish Chandra Mathur: If the sitution will improve considerably in two months' time and if it will be out of date then, there is no need for a discussion.

Shri Hari Vishnu Kamath: No, no. If we do not discuss it today, it will be out of date from that point of view.

The Ministry of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): I thought Shri Kamath rightly agreed to wait till the next session.

Shri Hari Vishnu Kamath: It only shows that Government is not willing to have a discussion, is allergic to a discussion and is resisting a discussion on this matter. It deliberately wants to push it out.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member knows there is no time.

Shri Satya Narayan Sinha: It will not be fair to say that the Government has been trying to push this

item out. It is the House which wants more time for the earlier discussion.

Shri Hari Vishnu Kamah: Then let us sit longer.

Shri Satya Narayan Sinha: Till 10 O'clock, tomorrow?

श्री बागड़ी (हिसार) : आठ बजे तक, नौ बजे तक ।

Shri Hari Vishnu Kamath: Till 8 O'clock. Tomorrow we can sit. It is the last day. I will be a good ending to a good session.

Mr. Deputy Speaker: We will see the mood of the House tomorrow.

श्री बागड़ी : डिप्टी स्पीकर साहब, अगर लोक सभा का सेशन एक दिन के लिये बढ़ा दिया जाये तो कौन सी आफत आती है ?

Shri Lal Bahadur Shastri: Sir, I beg to move:

> "That this House takes note of the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission laid on the Table of the House on the 20th November, 1961."

In the very beginning, I would like to convey my thanks to Shri Dhebar and his colleagues who have submitted a very weighty document, the report on the Scheduled Tribes. They went round the country and went to the far off and isolated areas where Scheduled Tribes lived. And, they have considered almost every aspect of this problem fully. The report was submitted sometime back to us and we passed on the report to all the State Governments, especially the State Governments which are directly concerned, where the Scheduled Tribes live in large areas and have a very big population. The reports were considered by the State Governments. But as it took time to get their comments, we decide to hold a conference of all the State Ministers in charge of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and we also requested the Chief Ministers also to attend that conference. They attended the conference, and I am glad to inform the House that it was possible to discuss matters across the table and come to a decision on almost all matters which pertain to the State Governments. We arrived at unanimous conclusions, and I hope the discussions will produce effective results in the sense that they will be implemented by the State Governments as early as possible.

16.07 hrs.

[SHRI MULCHAND DUBE *in the Chair*]

I, Sir, need not say that our friends and comrades, the Scheduled Tribes, are living in conditions which are extremely regrettable and, in the true sense of the word, they are really backward from many points of view. If you go into those areas you will find dearth of schools, even primary schools. There are no medical facilities available. There are no means of communications, not even kutcha roads or jeepable roads. And, of course, they lack in other social and cultural facilities.

The result is that we have to think of special steps, special measures, and give a push and drive to the work which we propose to do in these areas, and unless we do that I do not think the normal routine of work is going to make a radical change in their economic conditions. The Commission has specially recommended the programme of work to be done in these areas, and that programme of work falls really in two parts. The first is: protection of the rights of the tribals in land, protection against exploitation by money-lenders and protection of their way of life. The second is: development of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes by bringing all the tribal areas including the existing Scheduled Areas under the Tribal Development Block.

[Shri Lal Bahadur Shastri]

As I said, we have to develop the tribal areas and the tribal people in different directions. I mentioned about the schools, about dispensaries and about means of communications. Then there are small industries and also minor irrigation schemes. These are various matters in which we have to take, as I said, special measures. The Commission endorse the scheme of the Government in so far as the setting up of Tribal Development Blocks is concerned. They have further suggested that it should be extended and an effort should be made to see that all those areas where the tribal population is over 50 per cent are covered by such tribal blocks. I hope every hon. Member has some idea of what a tribal block is. The tribal blocks have more or less the same pattern as that of Community Development block, with the same kind of programme and same kind of work, of course, exclusively devoted to the interests and improvement of the Scheduled Tribes. I shall not take much time of the House and shall be as brief as possible.

In the Third Plan it was, therefore, felt that we should increase the number of tribal blocks as the tribal development blocks help in the development of the whole sector in different directions. So, this is one of the best programmes that we can accept and adopt. In the Third Plan the number of blocks to be set up was 300. After considering various aspects, we raised it to 330. So, the Third Plan provides for the establishment of 330 blocks. The Home Ministry felt that 330 blocks will not cover even those areas where the population of Scheduled Tribes is of the order of 66-2/3 per cent of the total population. Since this Report came to us we have been giving thought to it and we discussed it with the Planning Commission. Our idea or thinking has been that the first step should cover all those areas where the tribal population is 66-2/3 per cent of the total population.

I am glad to say that our discussions with the Planning Commission have been fruitful and they have agreed to provide funds for opening 120 more blocks. So, instead of 330, the total number of blocks now would be 450. This will cover those areas where the tribal population is 66-2/3 per cent. Naturally, it will mean additional expenditure also. The total allocation in the Third Plan was Rs. 16·36 crores for 330 blocks. Now they have agreed to give us a further Rs. 6·95 crores for the addition of 120 more blocks, making a total allotment of Rs. 23·31 crores. There are 450 areas where the population of Scheduled Tribes is 66-2/3 per cent or more of the total population and we would be covering all those areas by the 450 blocks which we are going to establish and we hope that when those blocks are established the development work in those areas will go ahead with some speed.

As I said in the beginning, the Dhebar Commission is not satisfied with our programme because we are covering only those areas where the concentration of tribal people is 66-2/3 per cent or more. It has suggested that we should try to cover those areas where the tribal population is over 50 per cent. If we are to cover all those areas where the tribal population is 50 per cent or more, it will naturally mean additional expenditure. Also, if we accept this criterion of 50 per cent, it would mean the establishment of another 500 blocks. So, if the total number of blocks is about 900, they will cover all the areas where the population is over 50 per cent. Naturally, this will lead to an outlay of another Rs. 30 crores.

We have discussed this matter with the Planning Commission. In fact, yesterday evening itself I had a discussion with the members of the Planning Commission and I appealed to them that the problem of the Scheduled Tribes was really a human problem and that we must do whatever is possible to allocate more funds

and at least cover those areas where the Tribal population is to the extent of over 50 per cent, that is, between 50 per cent and 66 per cent. That gap has to be filled. I must say that the Planning Commission is sympathetic. I am not prepared to say that they have agreed to allocate additional funds. But they have agreed to two things. One is that we must start making preparatory arrangements within this Plan period for covering all the areas which fulfil this criterion, that is, the criterion of over 50 per cent. About the preparatory arrangements I wish to say a few words a little later. But they have agreed that we must start our preparation which means that they accept it in principle and they will be able to provide funds if not now or immediately, at least during the Fourth Plan period.

Secondly, the point that they have suggested is that the normal community development blocks, not the Tribal development blocks, will be covering the whole country now. All the areas of this country would be covered by community development blocks by October 1963. So, all the rural areas will thus be covered and naturally the Tribals will also be able to take advantage of those blocks and will be benefited. However, that is a general problem. But my idea is that during this Plan period, of course, preparatory arrangements have to be made.

Another thing is that if we can find some funds, I am thinking on the lines that we should at least open some Tribal development blocks in those areas where the population is over 50 per cent. I want to introduce that scheme to go ahead on that line so that we are prepared for completing it during the fourth Plan period. I am quite clear that what the Dhebar Commission has suggested, that is, to cover over 50 per cent of population of the Tribals, should definitely be completed during the fourth Five Year Plan period, but we should if possible—and I would make every effort to make it possible—begin or introduce it or start with it during this Third Plan period.

It is true that even if we do that the problem still remains. Really it is painful to realise that even if we cover those areas, that is, the areas with over 50 per cent of population, there are 75 lakhs of Scheduled Tribes people who will be left uncovered. They will not be covered. They are spread over in different areas and as they do not come under any Tribal block, they are left uncovered. 75 lakhs is not a small number. So, we have to keep that in mind and we have to think as to what we can do for those people also who are not covered by the Tribal blocks. Although it is somewhat surprising, it is a fact that the greatest difficulty is in getting trained personnel. Either it is a school teacher or a doctor or an engineer or a social worker, the kind of men that we want, the kind of officers or workers or people with a mission to work they are not available. In fact, the government servants, those who work there should have a sense of mission if they really want to serve the tribal people. We are lacking in that. When the Planning Commission pointed out that preparatory arrangements should be made, they are right because we have not got the required men. We must train them up. It seems there are still many blocks where teachers are not available. Of course, there is dearth of doctors as every one knows in the whole of the country. Except for West Bengal, there is dearth of doctors in every part of the country, in every State. Naturally with the Tribal areas, it is much worse, because doctors do not want to go to these isolated places. We have to make special efforts to train up people. I do want that our department, the Home Ministry, the department of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes' Commissioner and the State Government should concentrate and prepare a blue-print, fix a target and try to achieve it. Otherwise if you do not have the required people, even the 450 blocks which we

[Shri Lal Bahadur Shastri]

propose to open may not work. I know this is one of our shortcomings. But, we have to make every effort to overcome it and I hope we will be able to overcome it during this Plan period. We have to complete these 450. It may be possible that most of the tribal blocks may be opened in the last year of this Plan period or in the fourth year of the Plan, or in the third year, also. During this time, in the next two years, it is possible to train up these people and post them in different areas and thus be able to complete the figure of 450.

The other points which were raised by the Commission were regarding land, forests and the indebtedness of the Scheduled Tribes. Protection of rights in land raise questions of land grant, land tenure, land reforms, tenancy rights, allotment of land, acquisition of land, preparation of record of rights and the undertaking of survey and settlement. Protection of rights in forests refers to grant of land, rights of grazing, right to participate in the work of protection, conservation, re-generation and afforestation and all other activities relating to forests and the right to exploit minor and major forest produce and to share in the processing of such produce.

16.24 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

Protection from exploitation by money lenders includes freedom from bonded labour in any form, scaling down of past debts and arrangements for alternative credit. The detailed recommendations of the Commission in Chapter 11 relating to Land and the Scheduled Tribes, in Chapter 12 relating to Tribals and forest policy and chapter 16 regarding the problem of indebtedness have been accepted in the recent conference of States Ministers in charge of welfare of Backward classes and it has been decided to give effect to the recommendations to the maximum extent possible. More specifically, it has been decided that there should be a section in the Legal Department in each State to undertake a study of the existing State and Central laws, and to suggest modifications to protect the rights of tribals, and that a survey should be conducted to find out to what extent special legislative assistance is needed, and further that all laws and regulations affecting tribal lands should be examined by this section in the Legal Department with the ultimate object of completely preventing transfer of tribal lands to non-tribals.

In the conference of the Ministers, I laid a special emphasis on the fact that this question of looking into the old laws or making modifications should be carried out as early as possible. The commission also felt that it might take about ten years to complete the consideration and looking into all the laws and making the necessary modifications and putting them through the legislatures. So, they had carefully gone into the whole matter. The same suggestion was more or less made by the Ministers also who were present. The officers and those who have to deal with this matter also strongly felt that in a smaller period it would not be possible. However, to me, it appeared that this period was a fairly long one. So, I suggested to them that it should definitely be cut down. I have tried and I have suggested to them that it should be between three to four years, and if possible, not more than two to three years. Of course, all of them kept quite, and so I felt that perhaps they have agreed to it but I am not prepared to say that. Still, it was generally felt that we should try to expedite the modification of laws or putting through of new laws wherever it is necessary.

The commission have also recommended that a general legislation applicable to both scheduled and non-scheduled areas would be preferable, because it will remove the feeling that

it is only in the scheduled areas that the tribals can get protection or that before a tribal can receive protection the area in which he lives should be declared as a scheduled area, and expressed that general legislation would accelerate the process of integration and ultimately facilitate the process of de-scheduling.

The commission have, no doubt, recommended that pending general legislation, the provisions of para 2 of the Fifth Schedule should be utilised for the promulgation of regulations by the Governors. This matter was also discussed at the conference; as the conference felt that we might be able to expedite the legislative process, that it was better to bring in general legislation itself as early as possible, as recommended by the commission.

The conference actually felt that with the enactment of legislation within three years, or, if you like, within three to four years, it is likely that the process will be completed even earlier, that is, earlier than ten years. So, you will see that this part of the work, the part relating to the modification of laws and the consideration of different laws regarding the tribals will be considered as quickly as possible. This part of the work is fully accepted, and fully accepted by the State Governments, and steps are being taken to implement.

16.28 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The most important aspect of this programme of work is its proper and quick implementation. I am not dealing with all the recommendations of the commission, nor am I going into details as to what our decisions were in regard to the points discussed in the State Ministers' Conference. I am not doing it also for another reason, namely that in the other House, we were not able to place the proceedings or the minutes of the meeting on the Table of the House. Here, a few days back, we placed the report or the minutes of the meeting of the Ministers' conference on the Table of the House. I hope the hon. Members who would like to see the details, would be good enough to go through those papers.

But every one agreed—it was agreed in the conference also—that our programmes, our schemes of work, are sound, and whatever the Commission have recommended has to be accepted if we want to bring about a radical change in the condition of our people, especially the scheduled tribes. But, the main question that arises is how to implement these proposals, these schemes.

As I said, there are various difficulties which we have to face. I just now referred to non-availability of technical personnel. This was one of the main complaints made in the Ministers' conference also. So, all our schemes fail if there is no proper implementation.

There are two things. The first is, as I said, the necessary personnel. The second thing is fixing responsibility on some officer at the State level and at the district level, and of course at the ministerial level also. I discussed this matter fully in the conference of State Ministers, and we laid special emphasis on this fact that they have to expedite the various items of this programme, and we decided especially about two or three matters.

We felt that in so far as the district is concerned, the district magistrate should be directly held responsible for the execution, for seeing to it that the programmes or schemes are properly executed. Of course, there will be different officers, and there will be a special officer for the tribals. Yet, various departments are concerned even at the district level. For example, departments like Health, P.W.D., Education, Home etc., and their officers have to function in the district, but it should be the responsibility of one officer whom the Government can ask, from whom they can call for an explanation as to

[Shri Lal Bahadur Shastri]

where the work has failed and why it failed. It can only be the district magistrate, because the district magistrate can co-ordinate, and he is the top officer in the district. It might be said that the district magistrate is a busy officer. He is, but then he has a number of subordinates under him, and it should be mainly the duty of the district magistrate to supervise those works for which a definite type of co-ordination is needed and necessary. So, at the district level we feel that it should be the responsibility of the district magistrate. Of course, I am not referring to the Assistant Commissioners of Scheduled Castes and Scheduled Tribes who are in these States where tribals live in large areas and in large population. They are there, and of course the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner works from the Centre. These are different officers, but what is important is that in the district it should be seen that some one takes interest, positive interest, to see that the different works are implemented properly.

I also wanted to mention the fact that this work is in some places, being entrusted to zila parishads and panchayats. Of course, in the context of our plans and programmes the panchayats and zila parishads are going to play an important role, but I said so, I am not mentioning it only here, in the presence of the State Ministers that I did not know how far the Government could leave this work entirely to the panchayats and zila parishads which are also in the formative stage, or even if they have been formed earlier, have yet to gather experience, to execute the programmes quickly. So, I specially appealed to the State Ministers. They cannot feel satisfied merely by saying that this work has now been taken up by the panchayats and zila parishads and that no one else has any further responsibility in this matter. I cautioned them that the panchayats and zila parishads may do whatever part of work they can but the responsibility of the district officer would be there, responsibility as I said has to be fixed on the district authorities and the district magistrate. At the provincial level we have suggested that there should be a separate directorate for Scheduled Castes and Tribes; it would not purely be a department or secretariat work. Part of it would be secretariat work; part of it executive wing. If it just forms part of a section in the Home Ministry, it does not get that much attention and therefore separate directorate will mean concentration on this work, execution and framing of programmes properly. There will have to be a directorate at the State level dealing with the problems of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. We have further suggested and the State Governments have agreed that the Chief Secretaries in each State should have a section under them for re-evaluation of tribal welfare programmes. It is the Chief Secretary who is the proper authority to co-ordinate the work of different departments and take the officers to task if they are lagging behind. That section and the Chief Secretary should evaluate whether adequate and sufficient progress has been made. It was also agreed at our suggestion that the Chief Ministers should have a quarterly meeting in which the Ministers concerned, such as Ministers of Education, Health, P.W.D., etc. and the officers concerned would be present wherein they should all examine the problems and watch the progress made and review the actual work done and see what drawbacks are there and how they have to be tackled. If such quarterly meetings are held, I am sure it would be very helpful. There are various other matters and I do not want to go into the details. This is the main structure which we have thought of for implementing this programme promptly and effectively. It has also been agreed that tribal advisory councils could be established in places even where there are no scheduled areas. I need not go into the detail. There are scheduled and non-scheduled areas and even in

non-scheduled areas where tribals live we want that there should be tribal advisory councils. Wherever there has been combined reservation of posts in services, the percentage prescribed for Scheduled Castes and Tribes should be clearly earmarked separately. This was also agreed to.

Without taking more of your time, I would end by saying that this is no doubt an economic problem because the Scheduled Tribes are hard hit. They have no adequate agricultural land. They have no other occupation. So, economically they are undoubtedly poorer. Socially also it may be said that they are backward. There are no schools or colleges and there are no facilities or amenities of life. But it is essentially a human problem. Of course, we have to tackle the economic problem and the social problem. But mainly it is a human problem and we have to change our attitude towards our friends and comrades. If we continue to consider them as people who are cut off from others and therefore there is no common bond between us and them, all this programme will have no effect at all. We may have as many community development projects as possible and we may bring about improvement also, but essentially the question is one of the blending of thoughts and our coming closer together completely and identifying ourselves with the Scheduled Tribes.

I have not visited many places but at least I went sometime back to a Scheduled Tribe area. It was a most difficult area I have ever passed through. It was even difficult to reach there. I had to reach there at 8 O' Clock but I could reach there only at about 12 midnight. It was difficult even for jeeps to pass through some of that area. At a number of places we had to get down. There were no roads. But yet, there were at least 15,000 people sitting there even at the dead of night. I was really amazed at the kind of upsurge, a religious upsurge, if I may say so, in them. They were very keen that there should be a radical change in their economic conditions and other things, but I was surprised there was no bitterness at all. Therefore, our obligations increase all the more, if they have been patiently suffering all these years.

While sitting there, I felt as if I and they were absolutely one. How can anyone imagine that there was any kind of difference between them and us? Therefore, I say a psychological and revolutionary change has to come about in our minds. Then alone we can really solve the problems of the Scheduled Tribes.

In that respect, I shall refer to the important suggestion made by the Dhebar Commission. The Commission raised the question: what is our objective. Is our objective going to be the extension of Scheduled Areas or descheduling the existing Scheduled Areas? They have in a nutshell put the vital point before us. If we think that there are 450 Scheduled Areas or 900 Scheduled Areas, and then later on they may be increased to 1,100 or 1,200, it will not mean identification. It will mean further separation, and that separation will continue for a long time to come. Therefore, the Dhebar Commission suggested that we should go ahead with the establishment of tribal blocks. They felt that at least those areas where the tribal population is to the extent of over 50 per cent. should be covered by tribal blocks as early as possible and then we should go ahead and fill the remaining gap. In fact, Shri Dhebar, the Chairman of the Commission, had appealed to its members and told me also. The natural desire is that we should extend the Scheduled Areas and try to establish tribal blocks, but from a broader angle, he suggested that our objective should be not the extension of Scheduled Areas but bringing the Scheduled Areas to the level of others and thus deschedule them. So, I entirely agree with that approach: that we should try to deschedule, meaning thereby that the existing Scheduled Areas should also not exist. But how can that be done? That can only be

[Shri Lal Bahadur Shastri]

done if we are able to bring them to our level or to the level of others within a prescribed period. I would have liked to suggest a period of ten years for this work. But it may be a rather short period. I do not want to take that risk. I would, therefore, suggest that the objective before us is that within 15 years, all the scheduled tribes people living in those different areas should come up to the level of others. All these programmes must be completed within 15 years. If we can do that earlier, all of us will be extremely happy.

Having said this, I hope that the hon. Members will give full thought to the recommendations made by the Commission. I would like to assure them that on our part, we would do our best to implement these recommendations. I shall be glad to get their views and then finally formulate our plan and go ahead with its implementation.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That this House takes note of the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, laid on the Table of the House on the 20th November, 1961.'

****Shri Sarkar Murmu** (Balurghat): I am glad that to-day in this Parliament, we are discussing the report of the Commission of the Scheduled areas and Scheduled Tribes. Like other reports, this report also suffers from the lack of realistic approach towards the basic need of the tribal people. The whole outlook of this report is an administrative one. If we want to have any solution for this problem of Scheduled tribes, we must have a political approach towards it which is totally absent in this report. However, this report has suggested some steps to be taken to eradicate the misery and the age-long backwardness of this hanicapped section of the people due to which the Scheduled Tribes could not march forward. It suggests concrete steps and measures to overcome it and have requested the Central and the State Governments to put these measures into practice.

If these proposals or suggested measures are implemented, then the long neglected Scheduled Tribes may come forward to some extent.

With great regret, I may say that the experience of Congress rule during the last 15 years has shown us what little they have done for the Scheduled Tribes. We have also seen what the Congress Government has done for the solution of the land problems, the problems of livelihood of the Scheduled Tribes, the unemployment problem and the problem of education. I can state emphatically that the Government has not taken any steps to solve the problem in an integrated manner. Provision of a few steps here and there, sanctioning of stipends to a few tribal students and some times giving jobs to some of the tribal people, will not and cannot solve the problem at all. What is the reason for this failure of the Government? I submit that the defective planning is responsible for this failure. The Government draws up its policies without taking into account the life of the Scheduled Tribes and the schemes, as a result, have nothing in common with reality or with the needs of the situation. And further the schemes are put into practice without caring for any co-operation of the masses of scheduled Tribes people and through the bureaucratic apparatus. Due to this, the schemes fail and the money allotted goes to line the pockets of the bureaucratic officials.

**English translation of speech delivered in Bengali.

Let us take the case of West Bengal. After reading this report, I got the impression that the West Bengal Government actually has not done much for the Scheduled Tribes during the last 15 years. Scheduled Tribes' main problem remains the problem of land and the West Bengal Government so far has not chalked out any concrete measures to distribute lands to the Scheduled Tribe. In the report, we come across that in other States, some of the landless Scheduled Tribes were given lands to settle but whether the West Bengal Government has any project of this nature, we do not know. According to the Government statistics, in West Bengal, there are 15,67,000 scheduled tribes, but unfortunately, not a single Tribal Development Project has been set up so far in the State.

When the West Bengal Government passed the Land Reforms Bill in 1955, they had made a provision by which Scheduled Tribes' land could not be easily acquired or transferred to communities other than Scheduled Tribes. In 1954, the Government of West Bengal passed an Act which sought to return those lands to Scheduled Tribes that were sold or otherwise transferred to non-tribals during the period from 1st January, 1950 to 30th December, 1953. This law first raised some hopes amongst the Scheduled Tribes but unfortunately, that law remained on paper only and it was never implemented and never benefited the Scheduled Tribes.

By benami transactions or through other means, the lands of the Scheduled Tribes were taken by the Jotedars and moneylenders belonging to other communities, and no land remained in the hands of the Scheduled Tribes. If this is the fate of a Government Act, then we can very well imagine what value the recommendations of the Commission will have since it has not got the force of law. These are only suggestions and as such, not obligatory on the Government.

I would like to make certain concrete proposals. In West Bengal, there are certain tribal compact areas where the Scheduled Tribes population are predominant. Such areas should be exclusively reserved for Scheduled Tribes alone. Lands in this particular area shall be distributed to Scheduled Tribes only. Nobody else shall be allowed to own any land in the said Scheduled areas. These areas should be declared as Scheduled Tribes reserve. Tribal Development projects should be set up there through which all the development works should be undertaken. Only Scheduled Tribes should be given land to rehabilitate themselves. The Commission has made recommendations to the same effect and I fully agree with them. These recommendations are very necessary in certain areas of West Bengal. But in these projects, the Scheduled Tribes should get ample scope to participate or there is the danger of these projects coming under the grip of bureaucrats and thus doomed to failure. Therefore, such blocks must be organised with the full co-operation and active participation of the tribal people.

There should be a wide net work of canals to irrigate the lands. Generally, tribal villages are situated on the top of hillocks and therefore, scarcity of drinking water is acute. Government should see that drinking water is provided.

To spread education, hundreds of schools should be set up in these areas and each student should be given monetary help by the Government for higher studies.

श्री उइके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर बोलते समय सब से पहले मैं संविधान बनाने के समय नियुक्त अल्पसंख्यक जनता से सम्बन्धित कमेटी के चेयरमैन, स्वर्गीय ठक्कर बापा, और सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। संविधान में एक जांच

[श्री उइके]

कमीशन मुकर्रर करने के बारे में जो धारा रखी गयी थी, उस के अनुसार दस साल के बाद ढेबर कमीशन मुकर्रर हुआ ।

अभी तक इस सदन में आदिवासियों के सम्बन्ध में बहुत सी चर्चायें होती रही हैं, किन्तु इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य आदिवासियों की असली समस्या को नहीं समझ सके । ढेबर कमीशन की रिपोर्ट ने आदिवासियों का सच्चा चित्र माननीय सदस्यों के समक्ष और सारे देश के समक्ष सही रूप में रख दिया है । इसलिये मैं ढेबर भाई को तथा उन के कमीशन के सदस्यों को शतशः हार्दिक धन्यवाद देता हूं । इस रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में २,२५ लाख ऐसे आदिवासी हैं जो कि आदिवासी माने गये हैं । उन के अतिरिक्त पौन करोड़ ऐसे आदिवासी भी हैं जो आदिवासी नहीं माने गये हैं । इन तीन करोड़ आदिवासियों के लिये और आगे आने वाली उन की सन्तानों के लिये यह रिपोर्ट वेद या गीता के समान है ।

अभी गृह मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि प्रदेशों के मंत्रियों ने यहां आ कर इस कमीशन की काफी सिफारिशों को कबूल किया है और उस के बाद कोई विशेष समस्या शेष नहीं रह जाती है । कुछ बातें स्टेट्स के द्वारा कबूल नहीं की गई हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय के कहने से मालूम होता है कि वह समस्या भी हल हो जायेगी ।

इस रिपोर्ट को लिखते समय कमीशन को जिन ५३ किताबों का सहारा लेना पड़ा, उन में से ३९ किताबें तो मिशनरी कार्यकर्ताओं के द्वारा लिखी हुई हैं, जो कि सौ साल से यहां आये हुए हैं, और सिर्फ १४ किताबें ऐसी हैं, जो कि कुछ समय पहले भारतीयों के द्वारा लिखी गई हैं । लेकिन एक महत्वपूर्ण किताब का हवाला इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है और वह है नियोगी कमेटी अर्थात् मध्य प्रदेश में क्रिस्टियन मिशनरीज एक्टीविटीज एन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट । एक रेगे कमेटी भी एप्वाइंट हुई थी । इन कमेटियों की रिपोर्ट में भी हमारी समस्यायें बहुत अच्छी तरह से दी हुई हैं । कमीशन को उन में काफी मसाला मिलता । इस रिपोर्ट में मिशनिरियों के सम्बन्ध में कुछ बातें आई हैं, लकिन वे बातें कमीशन के देवता स्वरूप चेयरमैन महोदय के सौम्य स्वभाव के अनुरूप ही आई हुई हैं, हालांकि आदिवासी लोग अन्य समस्याओं की अपेक्षा इस समस्या से अधिक दुखी हैं ।

इस रिपोर्ट में बहुत से क्वोटेशन्ज दिये हुए हैं । महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्वोटेशन्ज में पढ़ कर सुनाना चाहता था, लेकिन चूंकि उस में समय लगेगा, इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं उन को पढ़ लेंगे ।

शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की दस रिपोर्ट्स में से हम ने नौ रिपोर्ट्स पर चर्चा की है । उन चर्चाओं में हमारी जो भी तकलीफ और समस्यायें पेश की गयीं विभिन्न स्टडी ग्रुप्स ने जो भी रिपोर्ट्स दीं और हम लोगों ने पिछले दस सालों में जो भाषण दिये उन सब का सार इस रिपोर्ट में आ गया है । उन बातों को दोहराने की कोई विशेष आवश्यकता मालूम नहीं होती है ।

आदिवासियों के सम्बन्ध में दो सवाल हैं एक शोषण और दूसरा विकास । इस समय मेरा विशेष जोर शोषण पर रहेगा । विकास तो सारे भारतवर्ष का हो रहा है । उस के साथ साथ हमारा भी विकास हो जायेगा । लेकिन जहां तक शोषण का सम्बन्ध है, आदिवासियों का शोषण बाकी भारतवर्ष की अपेक्षा निराले तरीके से होता है, एक विशेष शोषण है भूमि और जंगल के सम्बन्ध में जिस की तरफ सरकार को ध्यान देने और जिस के सम्बन्ध में कमीशन की सिफारिश को पहले इम्लीमेंट करने की जरूरत है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल और आदिवासियों का बहुत घनिष्ठ सम्बंध है। जंगल में हम लोग फल-फूल खा कर अपना निर्वाह तो करते ही हैं हमारे देवता भी जंगल में झाड़ पर रहते हैं। जब हमारे बुजुर्ग मरते हैं तो उनकी पूजा झाड़ लगा कर की जाती है । हम जंगलों की पूजा करते हैं, उन के त्यौहार मनाते हैं। कुछ झाड़ों और बेलों को हम देवता मान कर काटते नहीं है । इस तरह जंगल और आदिवासियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। लेकिन जंगलों के सम्बन्ध में १८९४ की जो पुरानी नीति थी, उसको भारत की प्रजातन्त्रीय सरकार ने १९५२ में बदल दिया, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ।

आदिवासियों के लिये खर्च किये जाने वाले करोड़ों रुपयों की बात से शायद कुछ माननीय सदस्यों को प्रतीत हो कि आदिवासियों के लिये इतना पैसा क्यों खर्च किया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जितना पैसा दिखाया गया है, उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ है। जहां तक काम का सम्बन्ध है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पहले २९ पैराग्राफ्स में किसी भी काम पर सन्तोष प्रकट नहीं किया है और उस ने कहा है कि कोई भी काम सन्तोषजनक नहीं हुआ है। हर एक पैरा में जो आदिवासियों के लिये काम किया जाना है या जो किया जा रहा है उस पर कमीशन ने असन्तोष प्रकट किया है। करोड़ों रुपया खर्च करके हमारा जो कल्याण किया है या करना है, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान जो जंगलों के बारे में नीति है और भूमि सुधार के बारे में नीति है, उससे हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब खत्म करें ।

श्री उइके : इतना कम समय ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट और ।

श्री उइके : इतने समय में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, इस वास्ते जल्दी जल्दी खत्म कीजिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इनको ज्यादा समय दे दिया जाए, ये आदिवासी क्षेत्र के हैं ।

श्री उइके : जंगलों के बारे में जो आपका १८९४ का कानून था उसमें लिखा हुआ था "राइट्स एण्ड प्रिविलेजिज" । इसके अनुसार ही आपकी नीति चलती थी, उन के बारे में जो कि जंगलों में रहते थे। लेकिन १९५२ में हमारी स्वतन्त्र जनता की सरकार हो जाने के बाद उस नीति को बदल दिया गया और उसकी जगह पर राइट्स और कंसेशन्ज कर दिया गया। यह कंसेशन हो जाने से जो जंगलों के अन्दर समस्या आज उत्पन्न हो रही है, उस को वही लोग जानते हैं जो कि जंगलों में रहने वाले होते हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं और न ही कोई उसकी कल्पना कर सकता है। जंगलों के ऊपर ही इन लोगों का जीवन निर्भर करता था और आज भी करता है। वह खत्म हो गया है। आप यहां से करोड़ों रुपयों की सहायता दे करके उन लोगों का उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यह एक प्रकार से घटोतकची माया है, पुराना दे और नया ले और न रहा पुराना और न कुछ समय के बाद रहा नया । यही उनकी आज हालत हो रही है। आदिवासियों के लिये जो विकास का, जो कल्याण का कार्य किया जाता है उसका कोई लाभ नहीं हो सकता है जब तक कि आप जंगलों के बारे में और भू सुधार के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करते हैं ।

अब आप देखें कि भू सुधारों का क्या नतीजा हुआ है । जो जमीनों के मालिक थे

[श्री उइके]

उनको आज जोतने के लिये भी जमीनें नहीं मिलती हैं, इस वजह से कि कह दिया जाता है कि किताबों में, खसरों में, पटवारियों के रिकार्डों में वे लिखी हुई नहीं है और अगर किसी के पास यह चीज लिखित रूप में भी मौजूद है तो भी इसको उन किताबों में लिखा नहीं जाता है । दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं जिनकी जमीनें गैर-आदिवासियों के पास चली गई हैं वे लोग अब अधिया में अपना काम करते है । लेकिन अब भू-सुधार होने से अधिया में भी जमीनें नहीं मिलती हैं । इस कारण से वहां पर भूमि के लिये हंगर शुरू हो गया है, मेरे प्रदेश में हर जिले में कुछ न कुछ, थोड़ी बहुत बगावत हर जगह पर हो गई है । आपने पिछले दस साल तक जो कल्याण कार्य किया है उसका नतीजा यह होना चाहिये था कि हम खुशहाल होते लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत है । हुआ क्या है ? एक एक जिले की बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं । भंडारा जिले में ग्राम पंचायतों के चुनाव का एक लाख आदिवासियों ने बहिष्कार किया । निमाड़ और बेतूल में इस फारेस्ट पालिसी के खिलाफ बगावत हुई है और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया है । बालाघाट जिले में लगभग पचास आदमी इस भूमि के कारण जेल गए हैं । सरगुजा जिले में भूमि के बारे में एक मूवमेंट चलाई है, जिधर उधर मिनरल्ज निकल रहे हैं । इसमें कितने आदिवासी अपने मकानों से अलग हो गए हैं, कितने बेचारे शरणार्थी बन गए हैं, यह सब इस रिपोर्ट के अन्दर दिया हुआ है । हजारों आदमी बेघर-बार हो गए हैं । एक तरफ तो आप हाउसिंग स्कीम चाहते हैं उस पर पैसा खर्च करते हैं, लोगों को मकान बनवा कर देते हैं और दूसरी तरफ जितने आपने मकान बनाये नहीं, उससे कई गुना अधिक मकानों में से, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आदिवासियों को निकाल दिया गया है, उनको सैटल नहीं किया गया है । कहीं दूसरी जगह वे चले गए हैं । यह सब आपकी रिपोर्ट में है ।

एक बात जो कि रिपोर्ट में नहीं आई है वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । आदिवासियों की नौजवान लड़कियां, बहुएं या औरतें, जिस जिस जगह पर इण्डस्ट्रीज हुई हैं, उस उस जगह पर जो बुभुक्षित लोग हैं, उन्होंने रख छोड़ी हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं । कहां एक्सपोर्ट करते हैं, इसको परमात्मा ही जाने । सरगुजा जिले में नई कोयले की खदानें लगी हैं, वहां के बारे में कुछ शिकायतें आईं और मैं वहां देखने के लिये गया । वहां पर मैंने पाया कि मास्टर प्लान बनाया और आदिवासियों को उसका कुछ भी पता नहीं चला उनकी जमीनें बीस बीस, पचास पचास रुपये एकड़ में ले ली गई हैं और उन जमीनों की कीमतें प्लान के कारण हजार और दो दो हजार रुपये एकड़ है । जमीन का कचहरी में रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता है, पर दूसरे लोग कुछ न कुछ अपने मकान बना लेते हैं और फिर ये जो आदिवासी लोग हैं, वे उन पर अपना कब्जा कर नहीं सकते हैं ।

बस्तर की बात भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं । वहां पर एक तरफ दण्डकारण्य है जिसकी बहुत लम्बी कहानी है और अगर मैं उसको सुनाने लगूं तो पता नहीं कितना समय लग जायेगा । दूसरी तरफ बेलाडीला है और तीसरी तरफ बस्तर की इंडस्ट्रीज हैं । इन सबसे वहां के आदिवासियों को बहुत परेशानी है । अभी जून महीने में वहां पर १८ आदमियों को सजा हुई छः छः महीने की इसलिये कि उन्होंने तालाब की मछलियां क्यों मारीं, उनका शिकार क्यों किया । शिकार उनके जीवन का एक अंग है । अब आपने उनको मछलियों को मारने से भी मना कर दिया, उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया तो इनका गुजारा कैसे चल सकता है । बस्तर के आदिवासी लंगोटी बांधते हैं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर भारत के किसी भाग में आपको अर्द्धनग्न तथा पूर्ण नग्न लोगों को देखना हो तो यहां जा कर इन लोगों को

देख लीजिये, बस्तर के इधर उधर आपको ये मिलेंगे, अबुजमार के पहाड़ों के ऊपर आपको ये मिलेंगे । आज ये मछलियों को नहीं मार सकते हैं, और उनसे मुहताज हैं । मछलियां मारीं, इसलिये छः छः महीने की सजा दी गई अठारह आदमियों को । अभी कुछ दिन हुए आपको याद ही होगा कि बस्तर के अन्दर गोली काण्ड हुआ था । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उनका कल्याण करना चाहते हैं तो इस तरह से उनका कल्याण नहीं होगा । इस बात को मैं इतना ही निवेदन करके समाप्त करता हूं कि जो अफसर शिकारी हैं और जो जानवरों का नहीं बल्कि इन आदिवासियों का शिकार करते हैं, उन को आप सही रास्ते पर लायें और उन पर नजर रखें ।

ग्राम पचायतें आपने चारों तरफ शुरू की हैं । गृह मन्त्री जी ने भी थोड़ा सा इसका अपने भाषण में जिक्र किया है । ग्राम पंचायतों पर चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च कर लें, जितने चाहे आप डिवेलेपमेंट ब्लाक्स बनायें मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सब आपका पैसा व्यर्थ ही जाने वाला है । उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । यह मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं । इन ग्राम पंचायतों से जो आप आदिवासियों का भला करना चाहते हैं, वह भला नहीं होगा । आदिवासी आदिवासी नहीं रह जायेंगे और कहां रहेंगे, क्या होगा, भगवान जाने ।

चारों तरफ आज हाहाकार मचा हुआ है और जितने भी आदिवासी जिले हैं भंडारा, निमाड़, बैतूल, बालाघाट, सरगुजा, शाडौल, दुग, बस्तर इत्यादि, सभी में तहलका मचा हुआ है और सभी में सौ सौ, पचास पचास या दो दो सौ आदिवासी जेल गए हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाये गये हैं, जंगलों के लिये जमीन के लिये । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में जितने भी सुझाव दिये गये हैं, इन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन होने वाला नहीं है । मैं आपको एक नमूना बतलाना चाहता हूं । अगर कोई बात कही जाती है तो केन्द्रीय सरकार उसके बारे में यह कहती है कि यह हमारा काम नहीं है, हम तो खाली राज्य सरकार को डायरेक्शन ही दे सकते हैं और जब स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाता है तो वह कहती है, हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट समय पर हमें पैसा नहीं देती है, हम क्या कर सकते हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट जो ब्लेम है उसको उन पर फैंकती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वह उस ब्लेम को सेंटर पर फैंकती है, यह मेरा अपना अनुभव है । इसीलिये मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं, वे इम्प्लेमेंट होने वाले नहीं हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमारा विकास नहीं कर सकते हैं, अगर आप हमें प्रगति की राह पर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम जो शोषण हमारा हो रहा है, उसको तो आप बन्द करें । हमारी भूमि न जाए, जंगलों के अन्दर हमारे जो राइट्स और प्रिविलेजिज हैं, वे तो कायम रहें । अगर आप हमारे वे राइट्स नहीं देते हैं तो कम से कम जो आपने पालिसी बनाई है, उस पालिसी के खिलाफ जो अफसर चलते हैं, उनके ऊपर तो आप नजर रखें, आदिवासियों को परेशान तो न करने दें । जिन आदिवासी भाइयों पर जंगलों को लेकर या भूमि को लेकर मुकदमे चलाये जाते हैं और जेल भेज दिया जाता है, वह तो बन्द हो ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं । मेरे सुझाव इस प्रकार हैं । पहला सुझाव मेरा यह है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का काम, दवाइयों इत्यादि का काम किसी भी दूसरी संस्थाओं के हाथ में नहीं रहना चाहिये, सरकार को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये । इस समय चूंकि ऐसा नहीं है इस वास्ते हजारों की तादाद में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो गया है । हमारे पास और कुछ तो बचा नहीं है, धर्म, संस्कृति और यह आचार विचार ही तो बचा है । हमारी जात ही खत्म हो गई तब आगे हमारा क्या होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकत

[श्री उइके]

है । जो लोग पैसों में हमें तौलना चाहते हैं, वह बन्द हो । लाखों भाइयों का पहले ही धर्म परिवर्तन हो गया । यह शिक्षा और दवाइयों का कारोबार आप किसी संस्था के हाथ में रहने देंगे तो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन बराबर होता रहेगा और हजारों की संख्या में आदिवासी ईसाई होते रहेंगे । इस वास्ते इस ओर आपका तत्काल ध्यान जाना चाहिये । मुझे पता नहीं कि जांच समिति की जो रिपोर्ट है, उस पर सरकार चुपचाप क्यों बैठी है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार शिशु कल्याण केन्द्र खोले । तीसरा सुझाव यह है कि धीरे धीरे सरकार आदिवासियों में शराब बन्दी करे । चौथा सुझाव यह है कि उन को वह कर्ज से मुक्ति दिलाये । पांचवां सुझाव यह है कि उन के लिये भूमि का बन्दोबस्त करे । जिस की जो भूमि है उस को अगर आप वह नहीं देते हैं तो कम से कम उन की भूमि उन को दिला दी जाये तथा बहुत सी जो भूमि आप के पास परती पड़ी हुई है हर एक प्रदेश में कई करोड़ एकड़ परती पड़ी हुई है वह भूमि उन को दे दी जाए ।

छठा सुझाव मेरा यह है कि सरकार की जो नीति जंगलों के बारे में है, उस को वह बदले । सातवां सुझाव यह है कि पीने के पानी का सब से पहले वह प्रबन्ध करे । आठवां सुझाव यह है कि केन्द्रीय गृह मंत्री के दस्तखतों से यहां से चीफ मिनिस्टर्ज को चिट्ठियां जानी चाहिये जिस में आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहियें । अगर माननीय उप-गृह मंत्री महोदया की तरफ से चिट्ठी जायेगी तो उस का राज्य के मुख्य मंत्रियों पर कोई असर नहीं होगा स्टेट्स के अन्दर जो विकास कल्याण मंत्री हैं वे सदा दौरा करते रहें और जिस जगह आदिवासियों का एक्सप्लायटेशन होता है, उस को वह रोकें । राज्यों के अन्दर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोले जायें और जो सेफगार्ड उन को दिये गये हैं, उन सेफगार्ड्ज की पब्लिसिटी की जाये, वाइड पब्लिसिटी की जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय एक परिषद् करें जिस में हम लोग भाग लें, स्टेट्स के मिनिस्टर भाग लें अफसर भाग लें, वे लोग भाग लें जोकि नान-ट्राइबल्ज हैं और जो आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वे भाग लें जोकि आदिवासियों से हमदर्दी रखते हैं और दो तीन दिन तक इस पर चर्चा चले और जो कोई सुझाव वहां दिये जायें उन को अमल में लाने की कोशिश की जाये । यहां पर इस सदन में इतना समय नहीं होता है कि माननीय सदस्य अपनी पूरी बात कह सकें । एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि जो पैसा आदिवासियों की भलाई के कामों के लिये जितना मांगा गया है, उस को प्लानिंग कमिशन कम न करे । यह सवा दो करोड़ जनता का सवाल है । अन्तिम सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि दस साल के बाद कांस्टीट्यूशन को अमेंड कर के एक और कमिशन बिठाने की व्यवस्था की जाए जो अपनी रिपोर्ट दे और बतायें कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने को बाकी पड़ा है । इस से राज्य सरकारों को एक प्रकार का भय होगा और अच्छी तरह से काम हो सकेगा ।

मैं आशा करता हूं कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि जो गलती एक दफा कर ली जाए वह हम हमेशा करते रहें, अगर हम ने एक दफा जहर खा लिया तो उस जहर को खाते रहें, या अगर एक दफा आग में हाथ जल गया तो उसे हमेशा जलाते रहें । देश को ट्राइब्ज के नाम पर, शैडयूल्ड कास्टस के नाम पर अलग अलग

स्थानों में बांट कर हम ने बड़ी गलती की है खास तौर से लैंग्वेज के नाम पर देश की तकसीम कर के तो हम ने सब से बड़ी गलती की है । आज जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ बाशिन्दों को एक भारत के नाम पर हिन्दुस्तान की डेफिनिशन के अन्दर एक सूत्र में पिरोया जाये । हम देखते है कि जो चालाक लोग है वे हाथ मारते जाते है और जो कमजोर लोग हैं वे पिसते जाते हैं । गूजर कम्यूनिटी के छः करोड़ मेम्बर हैं जोकि इस देश में रहते हैं । लेकिन छः करोड़ गूजरों मे से एक भी नुमाइंदा एम० पी० हो कर नहीं आया है एक भी गूजर इस पार्लियामेंट हाउस में नहीं है । सारे देश में एक भी कलेक्टर गूजरों का नहीं है, सारे देश में एक भी कमिश्नर उन का नहीं है । मैं कोई बहुत बडी बात नहीं कहता, लेकिन कहीं पर गूजर एस० डी० ओ० भी मैं ने बड़ी तादाद में नहीं देखे । तो कब तक यह शोषित जातियां पिसती रहेंगी में आज आवश्यकता इस बात की है कि सारा देश एक सूत्र में बांधा जाये । यह कह कर कि यह शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का है, शेडयूल्ड कास्ट्स का है यह बैकवर्ड है, अगर हम अपने देश को टुकड़ों में बांटते जायेंगे तो हमें और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ।

महात्मा गांधी जी का विजन बहुत साफ था उन का दृष्टिबिन्दु बहुत किलअर था, उन का दृष्टिबिन्दु आइने और चांद की तरह से रोशन था, इसलिये उन्हों ने कह दिया था :

"I would not accept the Partition of India even if the whole of the country were to go into flames."

महात्मा गांधी ने यह वादा किया था कि चाहे देश का चप्पा चप्पा जल जाये, लेकिन में देश को किसी जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म या सम्प्रदाय के नाम पर तकसीम नहीं करूंगा । लेकिन आज मैं देखता हूं कि नागालैंड बन रहा है, आज आंध्र प्रदेश बन रहा है, अलग अलग स्थान बन रहे हैं और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तो नारा लगाता है कि वह इस देश की तकसीम को चाहता है, वह यह कहता है कि जब तक हिन्दुस्तान की तकसीम नहीं होगी तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा । इसलिये आज मेरी सलाह है, मैं आप के जरिये से गवर्नमेंट को सलाह देता हूं कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक जातीयता की भावना पैदा करें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें और देश के अन्दर . .

Shri C. M. Kedaria (Mandi): On a point of order. . . .

Shri Yashpal Singh: I do not yield, Sir. When I do not yield, my hon friend cannot raise his point of order.

आज देश के अन्दर ऐसी भावना पैदा करने की जरूरत है कि ४५ करोड़ इन्सान एक सूत्र में बंध जायें ।

Shri C. M. Kedaria: My point of order is this that the hon. Member is speaking something irrelevant to the report under discussion, because there is no such section and no such partition; but the Scheduled Tribes are given special rights under the Constitution because of their social and economic backwardness.

श्री यशपाल सिंह : मैं इस बात को मानता हूं कि जो गिरे हुए हैं उन को उठाया जाये, में इस बात को मानता हूं कि जो दलित हैं उन को उठाया जाये, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि जो दलित और शोषित जनता है उस उठाया जाये, उस के लिये इमदाद दी जाये, उस के लिये तालीम का और यहां पार्लियामेंट में आने का पूरा इन्तजाम हो । उनका रिप्रेजेन्टेशन हो, उन के कलेक्टर्स हों, मिलिटरी में, पुलिस में उन का रिप्रेजेन्टेशन हो, यह मैं मानता हूं । किन्तु यदि कास्ट और क्रीड के नाम पर, जाति पाति के नाम पर, आप देश में नुमाइन्दगी देंगे और देश में

[श्री यशपाल सिंह]

अलग सीट्स मुकरर करेंगे, तो यह सब से ज्यादा शर्म की बात है। अगर हजरत ईशू मसीह पर ईमान ला कर एक करोड़ इन्सान ईसाई हो जाते तो मुझे एतराज नहीं था, अगर बाइबल पढ़ कर एक करोड़ इन्सान ईसाई हो जाते तो मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं था, लेकिन सरकार रोटी और कपड़े का इन्तजाम न कर सके रोटी और कपड़े के नाम पर लोगों को ईसाई बनाया जाय, यह बहुत बुरी बात है। अमरीका और इंग्लैंड से करोड़ों रुपया इस के नाम पर आये, यह हमारी सरकार के ऊपर सब से बड़ा कलंक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में एक राष्ट्र धर्म पैदा किया जाय, जातीयता पैदा की जाये, एक नेशनलिज्म पदा किया जाये और ४५ करोड़ हिन्दुस्तानी अपने आप को पहले हिन्दुस्तानी समझें, लेकिन इन पन्द्रह सालों में वह ऐटमास्फिअर क्रिएट नहीं किया जा सका है। इन पन्द्रह सालों में हम जिस को राष्ट्रीयता कहते हैं, जातीयता कहते हैं, नैशनलिज्म कहते हैं, पैट्रियाटिज्म कहते हैं, वह पैदा नहीं किया जा सका है। वह बादशाह खां भी हमारे साथी हैं जो कि अकेले आज तक एक जातीयता के लिये पाकिस्तान में नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग इस नारे को छोड़ते चले जाते हैं। पन्द्रह सालों में अपनी जातीयता के लिये, अपने देश के लिये, अपने धर्म के लिये, अपने राष्ट्र के लिये, हम ने कोई सेंटिमेंट पैदा नहीं किया। हम वह वातावरण पैदा नहीं कर सके हैं जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाता।

आज अगर एक नौजवान को पता लग जाय कि वह सरकार के खर्चे से इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा है तो आज ही उस के चेहरे पर रौनक आ जायेगी, आज ही उसका पिता ५०,००० रु० दहेज में मांगने लगेगा, क्योंकि यहां हिन्दुस्तानियत पैदा नहीं की गई है। अगर हिन्दुस्तानियत पैदा की जाती तो विदेशों के लिये किसी तरह का प्रेम पैदा नहीं हो सकता था। आज जरूरत इस बात की है कि सारे देश को एक सूत्र में बांधा जाये।

Shri D. J. Naik: Is there any relevance to the subject?

Shri Deshpande (Nasik): This has nothing to do with the subject before the House.

श्री यशपाल सिंह : सारे देश को एक सूत्र में बांधा जाये और ४५ करोड़ इन्सानों में जो शोषित जनता है, जो एक्स्प्लायटेड जनता है, जिस जनता को पतित और पददलित किया गया है, उसे बराबर के स्तर पर लाया जाये और जाति पांति के नाम पर, ट्राइब्ज के नाम पर या किसी ऐसी चीज के नाम पर जिस से अलग रिप्रेजेन्टेशन होता हो, कोई काम करना हमारे देश के लिये बड़ा घातक होगा।

महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि जिस तरह से पाप करने वाले को सजा दी जाती है उसी तरह से अस्पृश्यता मानने वाले को, अछूतपन मानने वाले को, अनटचेबिलिटी मानने वाले को, सजा दी जाये। लेकिन अनटचेबिलिटी आज भी हमारे समाज में है। आज हम ने कानून तो बनाया लेकिन समाज की जड़ों के अन्दर अछूतपन और अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है। जरूरत इस बात की है कि कानूनन इस को रोका जाय। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात का कि जब हम ने किसी को एक अलग शेड्यूल्ड कास्ट्स का समझा, जब किसी को अछूत समझा, किसी को पतित समझा, जब हम में इस तरह की तकसीमें हुईं, उसी वक्त से हम गुलाम होते चले गये, हमारी आजादी छिनती चली गई। चाहे आप काश्मीर के अन्दर चले जायें या किसी और जगह चले जायें, हर जगह जाति पांति का मसला है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि अलग अलग ट्राइब्ज के नाम पर नहीं, हिन्दुस्तान के ४५ करोड़ इन्सानों के नाम पर देश को एक किया

जाये, और जो लोग अछूतपन को आज भी मानते हैं, अस्पृश्यता को आज भी मानते हैं, उन्हें कानूनन सजा दी जाये, उन के हाथ कटवा लिये जायें, उन को जेलखानों में डाला जाय, और एक ऐसी हालत पैदा की जाये कि ४५ करोड इन्सानों को जाति पांति का, बिरादरी का, कास्ट या ट्राइब का खयाल छोड़ कर जातीयता के एक सूत्र में पिरोया जा सके ।

"हम मवाहिद हैं, हमारा तर्ज है तर्के रसूम,
मिल्लतें जब मिट गई, अजजायें ईमां हो गई ।"

यह काम हमारे करने का है । अगर यह काम आज नहीं हुआ है और आज एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का नारा भी जबर्दस्त होगा और कोई राजपूतिस्तान मांगेगा, कोई सिखिस्तान मांगेगा और कोई अकालो सूबा मांगेगा । आज हम को यह तय करना है कि हम देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर एक हो जायें, और अलग-अलग ट्राइब्ज को छोड़ कर जो आदिवासी भाई हैं दो या ढाई करोड़ की संख्या में उन को गारेन्टी दें । सिर्फ इसलिये नहीं कि वे आदिवासी हैं हम उन के लिये स्कालरशिप्स का इंतजाम करें, बल्कि इसलिये कि वह ढाई करोड़ इन्सान बहादुर इन्सान हैं, इस देश के स्तम्भ हैं, और उन्हों ने अपनी जान पर खेल कर इस जाति और धर्म को जिन्दा रक्खा है, यहां के नेशनलिज्म को जिन्दा रक्खा है । उन्होंने हमारी जातीयता के लिये धर्म के लिये, राष्ट्र के लिये, हमारी अपनी संस्कृति के लिये, तहजीब के लिये आज तक कुर्बानियां की हैं । खुद भूखें रहे हैं लेकिन हमारी संस्कृति पर आंच नहीं आने दी है । ४५ करोड़ इन्सानों को एक जगह पर लाया जाये, और जो यहां नहीं आ सके है अपनी इग्नारेंस की वजह से या इस वजह से कि उन की आवाज नहीं है, उन को लाया जाय ।

हमारे यहां चुड़ड़पुर में हमारे प्रधान मन्त्री गूजर कान्फेंस का उदघाटन करने गये थे । लाख से ज्यादा गूजर वहां इकठे हुए थे वे इस पर मुतमईन हो गये थे कि उन का रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा, लेकिन वह नहीं मिल सका । इस लिये मेरी दरख्वास्त यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, शेड्यूल्ड कास्ट, आदिवासी भाई या दूसरे लोग जो पतित और पददलित हैं उन को एक स्तर पर लाया जाये, उन के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा किया जाये और देश में से जाति पांति की बुनियादों को दूर कर के ४५ करोड़ इन्सानों के लिये एक नेशनलिज्म कायम किया जाये ।

Shri C. M. Kedaria: I am glad you have given me time to speak, and I thank you very much.

First of all. I would like to thank the Chairman of the Commission, Shri Dhebarbhai, because it is a very valuable and informative document for the scheduled tribes. The welfare of the tribal people and the development of the tribal areas have been acepted as a constitutional obligation by the Government of India, and in pursuance of article 339, the Commission was appointed by the President, under the chairmanship of Shri Dhebarbhai. The report of the Commission, which bears the imprint of hard work and devotion to the welfare of the scheduled tribes, is really valuable and informative. The Commission deserves congratulations for the work it has done.

The Commission has highlighted the facts as to how the Adivasis have lost their land ownership rights, their forest economy, and suffered displacement as a result of land acquisition for projects such as irrigation, power, mining and industry. It will not be incorrect to say that not much has been done in providing irrigation facilities in the backward areas. The All India percentage of irrigation is 17 per cent while in Dangs district it is zero per cent, in Broach it is 0·70 per cent, in Panch Mahal it is 1·37 per cent, in Baroda it is 1·37 per cent and in Surat district it is 1·45 per cent that is in Gujarat State. This shows that the Adivasis living there and depending on agriculture got much less facilities in the First and Second Plans. I would like to suggest that

[Shri C. M. Kedaria]

certain measures should be taken for the uplift of the Adivasis. To my mind, the Narmada and Ukai projects in Gujarat should be given the utmost priority. These are projects in adivasis areas and should be taken up by the Central Government at an early date. I am constrained to say that the Union and the State Governments have acquired 62,238 acres of land from Scheduled Tribe families causing displacement of 14,113 Adivasi families. We advocate that in such acquisition of land for projects: "land for land and house for house" will be given; but it is a tragedy that only 3477 families out of 14,113 displaced families were rehabilitated and only 8314 acres of land out of 62,238 acres taken away was given for settlement. It is apparent that the economic interests of the Scheduled Tribes are not protected under article 46 of the Constitution and the Governors have also failed to protect the rights of tribals in land. The Commission have rightly recommended the provision of adequate safeguards to ensure that the displaced persons are saved from discomfort, loss and anxiety.

I am very happy to hear what the hon. Home Minister said about the measures adopted for the development of Adivasis. We are also glad to learn that in the conference of Chief Ministers, they have already accepted the proposals contained in chapters 11, 12 and 16 of the report. But it would have been far better if the members of the tribal advisory council and other non-officials were also included in those discussions. They would have given some valuable suggestions on it.

Mostly Adivasis reside in forest areas and in jungles and when they apply for land, I am sorry to say their applications for grant of land for cultivation are not sanctioned by the forest department in time, which drives them into litigation. Consequently the tribals who were the original inhabitants of the jungle areas have lost their interest in the development of forests, preservation of trees, etc., and it has led to illicit cutting of trees. It is felt that the Government should follow a progressive policy to rehabilitate the tribals.

Then, I would like to draw the attention of the hon. Home Minister to one point. Constitutionally, we are given the safeguards through reservation in posts and representation in the legislatures also. I am sorry to say that the Commission has not taken due attention of the Supreme Court's judgment which was before them for reservation in promotion and selection posts also. The Supreme Court has very rightly pointed out that the words "in respect of any employment" used in article 16 must include all matters relating to employment as specified in article 16. It also opined that the reservation for Scheduled Tribes should be extended to promotion in selection posts which are included in article 16(1) and (2). The Supreme Court has mde it clear that the powers of reservation conferred under article 16(4) can be exercised by the State in a proper case not only by providing reservation for initial appointment but also by providing reservation in selection posts. The scope of the article is to be construed not in a technical or pedantic approach but in a broad and general way.

Having regard to this, I was disappointed to find that the Commission has merely satisfied itself by saying that it does not seem necessary to modify the existing orders. This is not consistent also with the Commission's view that the tribals will judge the Government not by its constitutional obligations or its intentions but by the active steps taken to make the safeguards a reality. I believe that the Supreme Court's interpretation of article 16 should be accepted in full by reserving posts in respect of promotion also for the Scheduled Tribes.

I was going to refer to the management of tribal blocks. In tribal blocks, generally the officers are so appointed that they sometimes ignore the interest of the tri al people and work against the interests of the peple. So, sometimes the Government's intentions are frustrated or nullified by such officers. I ,am therefore, of the opinion that wherever possible, the non-official agencies should also be brought in any they should be given powers to exercise functions over the tribal blocks.

The hon. Home Minister has rightly suggested that in some measure the Zila Parishads will also be given powers, and the district magistrate at the ditrict level will co-ordinate the work at the district level. I am of opinion that this should also be tried. We should not depend only on the officers of the Government or the Government agency.

In the end, I would like to compliment the Commission, because as the hon. Member Shri Uikey rightly said, the Dhebar Commission's report is really Gita for the Advivasis, and the recommendations should be implemented *in toto*. At a meeting of the Chief Ministers, they considered only the administrative points. They have ignored the steps for economic and social development. They have not taken that aspect into consideration. Therefore, whenever there is another sitting, I hope these points will be considered.

With these words, I really pay my compliments to the Chairman and Members of the Commission, who have put a very valuable and informative document before the nation, for the upliftment and development of the tribal people.

श्री मरंडी (राजमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, शड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस का मैं स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतनी जोरदार सिफारिशें होने के बावजूद आदिवासियों की उन्नति के लिये उतना काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिये था ।

पहली पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों के वास्ते करीब २४ करोड़ रुपया रक्खा गया था लेकिन मुश्किल से १६ करोड़ रुपया खर्च किया गया और ५ करोड़ रुपया वापिस कर दिया गया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ रुपया वापिस कर दिया गया । यह कितने दुःख का विषय है कि रुपया रहते हुए भी आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को ऊपर उठाने और उन की सहायता करने का काम नहीं हो सका है । इस से ज्यादा दुःख की बात आदिवासियों के लिये और क्या हो सकती है कि जो भी रुपया खर्च हुआ है वह सही रूप में खर्च नहीं हुआ है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी सरकारी अफसर या कर्मचारी हैं वे आदिवासियों के बीच में दिलचस्पी के साथ काम नहीं कर रहे हैं ।

17.32 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

बिहार में जनसंख्या के हिसाब से १,०२७,५७३ रुपये खर्च होने थे लेकिन ६०१,४४ रुपये मुश्किल से खर्च किये गये हैं अब आदिवासियों को यदि ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है और उन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है तो इस से ज्यादा आर्थिक सहायता की उन को जरूरत है और साथ ही इस को भी देखा जाय कि जो रुपया उन के वास्ते रक्खा जाय वह पूरा पूरा और सही तौर से खर्च हो । जिस प्रकार से पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये काफी मेहनत और काफी रुपये की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार इन गरीब आदिवासियों को भी ऊपर उठाने के लिये और आगे बढ़ाने के लिये काफी रुपये और मेहनत की जरूरत है ।

[श्री मरंडी]

आजादी मिलने से पूर्व हम आदिवासी लोग भी यह आशा करते थे कि भारतवर्ष के आजाद हो जाने पर हमारे दिन भी फिरेंगे और हम लोग भी सुख के साथ अपनी जिंदगी बसर करने के काबिल हो जायेंगे और हमारी रोजी, रोटी, कपड़े और मकान की समस्या हल हो जायगी । इंसान की तरह हम भी जिन्दगी बसर कर सकेंगे । लेकिन आज हमारी वह आशा निराशा में बदलती जा रही है ।

आज देश में बड़े-बड़े कल, कारखाने खुल रहे हैं और अनेकों बांध बन रहे हैं । इस के परिणामस्वरूप लाखों लोगों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता है और उन में आदिवासियों और हरिजनों की संख्या ज्यादा है । अब सरकार को इस के लिये सोचना चाहिये कि जिन गरीब आदिवासियों ने अपना खत, पसीना एक कर के और जंगल काट कर भूमि साफ की और उस पर परिश्रम कर के उसे खेती योग्य बनाया' ऐसी जमीनें से उन गरीब लोगों को थोड़ा पैसा दे कर जो वंचित किया जा रहा है यह कहां तक उचित है ? यह बड़े दुख और अफसोस की बात है कि उन को इस तरह से खेती योग्य जमीनों से थोड़ा पैसा दे कर बेदखल किया जा रहा है । इसलिये मेरा सुझाव है कि आदिवासियों की किसी भी हालत में जमीन में वंचित न किया जाय । उन को परती जमीन देने का भी बंदोबस्त किया जाय ताकि उन को कृषि योग्य बनाया जा सके ।

आदिवासी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि सेठ और महाजन आदि मनमाने तौर पर अपना काम करते हैं और गरीब आदिवासियों से कर्जे के ऐवज में बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं । कमिशन की रिपोर्ट में भी यह चीज दी हुई है कि वहां सूद की दर बहुत ज्यादा है । वहां पर संथाल परगना टेननसी एक्ट लागू है और उसके अनुसार जितने भी महाजन लोग हैं उनके पास इसके लिये लाइसेंस होना चाहिए लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां पर काफी तादाद में ऐसे महाजन काम करते हैं जिनके पास कि लाइसेंस नहीं होता है । हजार दो हजार रुपये का कारोबार करते हैं । सरकार जानती है और सरकार के कर्मचारी भी इसको जानते हैं लेकिन इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं । आदिवासियों के लिये कितना ही सुन्दर से सुन्दर कानून क्यों न बनाया जाय जब तक उनको इन सूदखोर महाजनों के चंगुल से बचाया नहीं जायेगा तब तक इन आदिवासियों की उन्नति न हो सकेगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि उन पर जितने भी पुराने कर्जे हों वे माफ कर दिये जाय । सदियों से जो आदिवासी पुराने ऋणों के नीचे दबे हुए हैं उन पुराने कर्जों को माफ कर दिया जाय । उनको ऋण से बचाने के लिये एक समिति बनायी जाये और उसकी देख रेख में जितने भी आदिवासी क्षेत्र में महाजन लोग हैं वह लाइसस लेकर ठीक से काम करें । सरकार को अच्छी तरह से देखना चाहिए ताकि कोई नाजायज काम न होने पाये ।

आदिवासियों को पृथक पृथक न रख कर उनको एक एक साथ में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए । संथाल परगना जहां कि काफी आदिवासी रहते हैं उस क्षेत्र को दो जिलों में विभक्त करने की सोची जा रही है। आज चूंकि जनता के एक प्रतिनिधि की हसियत से इस संसद में बोलने का मौका मिला है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से उनको विभक्त न किया जाय और हमारे संथाल परगना को दो हिस्सों में न बांटा जाय ।

हमारे आदिवासी क्षेत्र मे जितने भी सरकारी अफसर आदि होते हैं वे वहां की स्थानीय बोली को नहीं जानते हैं । अब वहां की बोली न जानने के कारण

जितने भी विकास वगैर हैं के काम वहां पर होने के लिए होते हैं वह ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां जितने भी अफसर भेजे जाय वे वहां की भाषा को जानने वाले और वहां के रीति रिवाजों को जानने वाले होने चाहिएं ।

शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां आदिवासियों की संख्या लाखों में है वहां उनको अपनी मातृभाषा को पढ़ने की सुविधा दी जाय । प्राथमिक स्कूलों मे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वे बच्चे शिक्षकों की बोली नहीं समझते हैं और शिक्षक महोदय उन बच्चों की बोली नहीं समझते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि वहां जो शिक्षक भेजे जायें वे वहां की लोकल भाषा को जानने वाले हों ताकि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके । प्राथमिक स्कूलों मे बच्चों को उनकी मातृभाषा सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

आदिवासी जिन क्षेत्रों में बसते हैं वहां पर काफी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं । कोयला, लोहा, अबरक आदि खनिज पदार्थों के निकालने से वहां काफी रुपये की आमदनी है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन इलाकों मे, जहां से कि इतनी अधिक आमदनी होती है उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है । हमारे संथाल परगना के आदिवासी इलाके में रास्तों की बुरी हालत है । बैलगाड़ी के चलने लायक रास्ता भी वहां पर नहीं है । रास्ते ऐसे खराब हैं कि उन पर बैलगाड़ी चलना भी मुश्किल है । एक सड़क सिमरा टु बुआरीजोर— बुआरीजोर टु बोरियो और बुआरीजोर टु गिरजा चौकी बननी थी । बिहार सरकार ने इस सड़क को बनाने के लिए अपने अफसरान को लिखा हुआ है लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बन पाई है । सड़क निर्माण की वहां पर यह हालत है । सम्बन्धित और मौके के अधिकारी गफलत बरतते हैं जिससे कि वह काम नहीं हो पाता है ।

इर्रीगेशन वहां पर नहीं के बराबर है । आदिवासियों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कागज पर कलम से करोड़ों रुपये रक्खे जाते हैं लेकिन हकीकत में वह बस कागज तक ही सीमित रह जाते हैं और दर असल काम जो होना चाहिए वह नहीं होता है। वजह इसकी यह है कि वहां के सरकारी कर्मचारी उतनी दिलचस्पी के साथ अपना काम नहीं करते हैं जैसा कि उनको करना चाहिए । कागज पत्तर पर इर्रीगेशन की योजनाएं बनी अवश्य हैं लेकिन अमल उन पर कुछ भी नहीं है । आदिवासियों का जीवन सिंचाई की उत्तम व्यवस्था पर निर्भर करता है । इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जाय ।

आदिवासी और हरिजनों को नौकरियां देने के लिए हर एक प्रकार की योजना है लेकिन वह योजना महज कागजों तक ही सीमित हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासियों को नौकरियां नहीं मिलती हैं । इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जितने भी पढ़े लिखे आदिवासी हैं, जिन आदिवासियों ने शिक्षा पाई है, उनको नौकरी में लिया जाना चाहिए और नौकरी के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिए उनको भत्ता दिया जाना चाहिए ।

Shrimati Akkamma Devi (Nilgiris): Mr. Speaker, Sir, I rise to extend my sincere thanks to the Chairman of the Commission for the valuable report placed before the House after visiting the various tribal areas and gathering first-hand information. The Chairman and members of the Commission deserve our hearty congratulations for this.

From the Report we find that many welfare schemes were launched for the upliftment of the tribals, economically, educationally and socially. A sum of Rs. 24.85 crores was allotted in the First Plan, Rs. 50.932 crores in the Second Plan and Rs 59.9018 crores in the Third Pan. But, meanwhile, most of the schemes were not implemented successfully. Lack

[Shrimati Akkamma Devi]

of trained personnel with aptitude and experience to work in tribal areas stood in the way of successful implementation. My humble suggestion is that only trained persons with experience and aptitude should be appointed and selection should on no account be made on mere qualifications. A field worker who has merely passed the eighth standard but with aptitude and zeal ofor service is far more efficient in his work than a person who has passed the school final or even pre-university but without the inborn gift for service.

Secondly, language also plays an important part in the successful implementation of our various programmes. As far as possible, selection should be made from among the tribals, even without adequate training, and they should be trained and absorbed in their respective areas.

We speak so much about co-operation of individuals, both official and non-official and co-ordination between various departments, both of government and non-official organisations. But, practically, these two important factors are not considered, in our day to day administration and without these two factors effective implementation is not at all possible. Therefore, there should be effective co-ordination between departments dealing with tribal welfare and the departments dealing with general development programme.

Now I pass on to voluntary organisations like the All India Council for Child Welfare, All India Women's Conference, the Servants of India Society, the Bharat Sevak Samaj and various other organisations which have done pioneer work for the welfare of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. There are organisations which have done constructive work for the tribals, spending from their own resources and also by way of local collections and donations. My request is that Government should encourage these voluntary organisations by giving substantial amounts to them and they should also see that delay is not caused in releasing the grants to the existing institutions. This encouragement to these institutions not only helps them to expand and consolidate their activities but it also paves the way for other new institutions to come up and take up constructive work for the tribals in various fields.

Now, I would like to speak about the housing conditions of the Tribals which need adequate attention of the Government. During the last four years an adequate amount was spent on housing but in the year 1960-61 a sum of Rs. 120 lakhs remained unspent. Therefore housing conditions of the Tribals should be given careful consideration and their living conditions should be improved. In places which I have visited I have seen the Adivasis packed together in small huts with unhygienic conditions and without proper ventilation. Therefore improving the housing conditions of the Tribals should be given the first place.

Now I would say a little about industries which help the Tribal population. Work and wage is the crying need of the Tribal population which was economically backward and socially mal-adjusted. The Tribals are eager to put in hard work and earn their living. But in Tribal areas we find that the Tribals have work only for two or three days and for the rest of the days they remain idle. They nearly starve living on herbs and tubers from the forest areas. Therefore I request our Government, particularly the Commerce and Industry Ministry to afford facilities to this Tribal population through its various organisations and industrial boards to get part-time or full-time work and thus help them to earn their daily bread.

I will conclude by saying that Government should bring in strict measures to prevent moneylenders from lending money to these Tribals. These moneylenders lend money on such a high rate of interest that after a few

years the interest exceeds the amount borrowed from the moneylenders and these poor Tribals are placed in such a pitiable situation that they are not able to pay the interest even. Therefore loans should be made available to these Tribals. The Government should see that the better placed among the Tribals do not enjoy all the advantages made open by the Government.

With these words, I support the Report.

श्री संजी रूपजी (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली) : माननीय सदस्य जी, मुझे यहां लोक-सभा में आए हुए लगभग छः सात हो महीने हो गए हैं लेकिन आज तक मुझे यहां बोलने का मौका नहीं मिला था। आज आप ने मुझे बोलने का मौका दिया जिस के लिए मैं आप का बड़ा आभारी हूं।

मैं दादरा नगर हवेली से आता हूं। यह विभाग बरसों से फरंगी हूकूमत के नीचे था। वहां पर करीब करीब ८८ टका लोग आदिवासी हैं। हमारे देश के पूज्य राष्ट्रपति जी ने वहां आदिवासी लोग ज्यादा होने की वजह से यहां लोक-सभा में एक अदवासी को नामीनेट किया जिसके लिए मैं और दादरा नगर हवेली की आदिवासी प्रजा पूजा राष्ट्रपति जी और इस सरकार की बड़ी आभारी है।

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैं ने पहले बताया है वहां पर फरंगी शासन था जिस की वजह से वहां पर कोई किसी किस्म की प्रगति नहीं हो सकी थी लेकिन वहां की प्रजा १९५४ में आजाद हुई। उस के बाद हमारी सरकार ने हमारा वह विभाग भारत के साथ मिला दिया। यह हमारा सौभाग्य है।

आज यहां पर शैड्यूल्ड एरियाज और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। मैं भी अपने यहां के आदिवासियों की मुसीबतों के बारे में कुछ बातें आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब इस कमिशन की रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस वक्त दादरा और नगर हवेली भारत के साथ नहीं थे उनको भारत में मिलाया नहीं गया था। इस वजह से दादरा नगर हवेली की कोई बात इस रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती है। आदिवासियों की प्रगति के लिए हमारी सरकार को क्या कुछ करना चाहिये इसके बारे में जो भी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं उनके साथ मैं पूर्णतः सहमत हूं। हमारी माननीय सरकार को इस रिपर्ट में लिखी हुई बातों को तुरन्त अमल में लाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां की आदिवासी प्रजा तथा दूसरे लोगों में इतनी ताकत नहीं हैं उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे पहनने के लिए पूरा कपड़ा भी ले सकें उसको खरीद सकें। वे आज भी आधे नंगे और भूके हैं। यह हमारे देश में सब के लिए एक नामूसी की बात है। इस देश में से गरीबी को निकालना हो तो वह कोई सहल बात नहीं है। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता और समझता हूं। मैं अपने यहां की आदिवासी प्रजा में से गरीबी को निकालने लिए और उनको प्रगति के पथ पर लाने के लिए एक महत्व की बात इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां आदिवासी प्रजा की प्रगति नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण यह है कि जब फिरंगी शासन था उस वक्त से जहां ज्यादा तौर पर दारू और ताड़ी मिलती रहती थी और आज भी वहां दारू ताड़ी काफी मिलती है। जो आदिवासी प्रजा वहां की है जिस तरह से वह फिरंगी शासन में दारू और ताड़ी में फंसी हुई थी उसी तरह से आज भी फंसी हुई है। आज हालत यह है कि दादरा नगर हवेली के चारों तरफ जो प्रदेश लगा हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र का प्रदेश लगा हुआ है वहां पर हमारी सरकार ने दारूबंदी कानून लागू कर रखा है, केवल दादरा नगर हवेली में वह लागू नहीं है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के लोग दादरा नगर हवेली में आ करके जहां पर दारू बंदी नहीं की गई है काफी मात्रा में दारू और ताड़ी

[श्री संजी रूपजी]

का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह दादरा नगर हवेली में आदिवासी काफी संख्या में हैं उसी तरह से उसके चारों बाज़, के जो प्रदेश हैं उसके साथ लगने वाले जो अन्य प्रदेश हैं वहां भी आदिवासी काफी संख्या में रहते हैं। अब होता है कि कि दादरा और नगर हवेली में दारू ताड़ी की बन्दी न होने के कारण हर रोज़हजारों आदिवासी आते हैं और इस दारू ताड़ी का भोग करते हैं। इसके लिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर हमारी सरकार सचमुच आदिवासियों की प्रगति करना चाहती है तो दादरा और नगर हवेली में भी वह जल्दी जल्दी दारू बंदी का कानून लागू कर दे।

इसके साथ ही साथ मैं कुछ और भी सुझाव अपनी सरकार को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये और नये स्कूल बनाये जानें चाहियें। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के बच्चों के लिए कपड़ा किताबों और कम से कम एक टाइम के भोजन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा कर दी जानी चाहिये। तीसरे जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है जो भूमि आदिवासियों के पास है उस भूमि में सुधार के लिए और उस भूमि में कुएं खोदने के लिए और इंजन लगाने के लिये तथा गाय और बैल लेने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी तकावी लोन देने का प्रबन्ध कर देना चाहिये।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि जिन लोगों के पास रहने के लिये मकान नहीं है उन लोगों के लिये सोसाइटीज़ बना करके या तो लोंज का या फिर सबसिडीज का प्रबन्ध सरकार को कर देना चाहिये ताकि उन लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था हो सके।

पांचवां सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहां जो बड़ा भारी फारेस्ट है उस फारेस्ट की लकड़ी का जो आकशन किया जाता है उसको बन्द कर देना चाहिये और वहां रहने वाले आदिवासियों की जंगल मंडली बना कर उन लोगों को इस फारेस्ट की लकड़ी का सब काम देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गणपति राम (मछलीशहर) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं इस कमिशन के चेयरमैन महोदय, श्री ढेबर भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्हों ने इस रिपोर्ट को लिख कर के इस बात की हमें याद दिलाई है कि उन के दिल में इस देश की और इस राष्ट्र को पिछड़ी हुई जातियों, इस देश के पिछड़े हुए वर्गों और लोगों के प्रति, दलित लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है।

मुझे आश्चर्य होता है कि जहां पर देश के कोने कोने में दूसरी राज्य सरकारों ने शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को अपने अपने प्रदेशों में माना है, वहां पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां पर कि लाखों की संख्या में शैड्यूल्ड ट्राइब्ज रहते हैं, उन को मान्यता नहीं दे रखी है। इस कमिशन के चेयरमैन ने भी फोरवर्ड में लिखा है :—

"In the case of UP, in our opinion the Janunsaris or Jaunsar Bawars of Dehra Dun and Uttar Kashi districts present a hard case. They are, in every sense of the term, tribals. Similar is the position of Gonds, Cheros and other and other tribals in the District of Mirzapur in U.P. All these have been execluded from the list of Scheduled Tribes, and, consequently, they have been deprived of the benefit of the Fifth Schedule. They belonged, before the adoption of the Constitution to the Partially Excluded Areas and some of them to the wholly Excluded Areas.".

१९५५ में बैकवर्ड क्लासिस कमिशन ने भी अपनो रिपोर्ट में चैप्टर ६, पेज १५५ में इन शब्दों में इस को लिखा था :—

"The policy of the Uttar Pradesh Government regarding the Tribes in their State is somewhat unusual. The Government have refused to classify and group as tribals. They insist that there is no need to classify and of the tribes as such. The reason advanced by them was that this would create new problems . . ."

17 hrs.

इस के अलावा और भी चीजें हैं । बैकवर्ड क्लासेज कमिशन ने सन् १९५५ में उत्तर प्रदेश में १३ जातियों के बारे में, जिन में यह भी सम्मिलित थीं ।

"भील, भोक्सा, भुइया, भूटिया, बोरा, चेरू, गोंड, घूरिया, नायक, ओझा, जौनसारी, खरवार, कोल, कोरवा, बनमानुस, थारू"

रिकमेन्ड किया था कि उन को शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में लिया जाय और उन के लिये संविधान द्वारा दिय गये जो स्पेशल अधिकार हैं उन्हें उन को दिया जाय । मुझे आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि आज इतने दिनों के बाद भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्जज कमिशन के बेठने के बाद भी बैकवर्ड क्लासेज कमिशन के बैठने के बाद भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन जातियों को मान्यता नहीं दी । कहीं इस से वहां एक नई समस्या न खड़ी हो जाय । मैं समझता हूं कि आज की स्टेट सरकारें भी ऐसी समस्याओं पर पर्दा डाल कर उन को टालना चाहती हैं । आज एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार इतनी सचेष्ट है, पढ़ा लिखा समाज इतना सचेष्ट है, देश के नेता लोग इतने सचेष्ट हैं कि देश का जो पिछड़ा हुआ तबका है, दलित तबका है वह ऊपर उठे और दूसरी तरफ हमारी स्टेट की सरकारें इस तरह का व्यवहार करती हैं । जहां तक मैं समझता हूं हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट हर साल सदन में आती है .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भाषण जारी रखना चाहेंगे ?

श्री गणपति राम : जी हां, जरूर रखना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बात सदन के सामने रखनी है कि जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने रक्खा है उस में इस के बाद अगला आइटम है :

"Discussion on the increase in the number of crimes and the deterioration in the law and order situation in the Union territory of Delhi."

इस के लिये दो घंटे रक्खे गये थे । आज सुबह सदन की मर्जी से हम ने वह दो घंट जो फ्लड सिचुएशन थी उस पर खर्च कर दिये, जोकि अगले आइटम पर लेने थे । अब दो ही सूरतें हो सकती हैं । या तो जो डिस्कशन चल रहा है उस को हम अगले सेशन तक चलता रक्खें और जो दिल्ली की क्राइम रिसिचुएशन है उसे कल ले लें या फिर क्राइम सिचुएशन को अगले सेशन में रक्खें और उस के समय को इस मोशन में लगा कर इस को कल खत्म कर दें । जैसा हाउस चाहे वैसा किया जा सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : दिल्ली के मामले को इसी सेशन में लिया जाय ।

एक माननीय सदस्य : एक दिन के लिये सेशन बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन तो और नहीं बढ़ाया जा सकता । इस वक्त सब माननीय सदस्यों ने अपना अपना इन्तजाम किया हुआ है इसलिये एक दिन बढ़ाना तो मुश्किल है । इन दो सूरतों में से हाउस जो चाहे चुन ले, उस गो अख्त्यार है । एक चीज चल सकेगी । जो आप चाहें वह चीज रख लें । एक को अगले सेशन तक मुल्तवी करना पड़ेगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं बड़ी नम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस कमिशन की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, रिपोर्ट आ चुकी है । रिपोर्ट आने के पश्चात् सदन में उस पर कुछ चर्चा भी हो चुकी है । लेकिन दिल्ली में अपराधों की स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि आये दिन कुछ न कुछ होता है । आप स्वयम् समाचारपत्रों को देखते होंगे, कत्ल, डाके, अपहरण इस प्रकार की भयंकर स्थिति होती चली जा रही है । इसलिये मैं आप से अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस को प्रिफरेंस दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस को यहां सेशन के आखीर में रक्खा जाता है, यह ठीक नहीं है । उस को यहां पहले रक्खा जाना चाहिये था और इस से पहले समय दिया जाना चाहिये था । अब जब यह चर्चा में आ ही गई है तो उस को पूरा समय मिलना चाहिये और कल मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कल तो कुल दो ही घंटे मिल सकेंगे क्योंकि जो ढाई घंटे हैं उन में से कुछ वक्त चला जायेगा बाकी चीजों में । दो या सवा दो घंटे बाकी रह जायेंगे । तो अगर आप इस को कल खत्म करना चाहें . . .

श्री हरि विष्णु कामत : बारह से साढ़े तीन बजे तक साढ़े तीन घंटे होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कल हम पांच बजे तक ही बैठेंगे । इस तरह से दो ही घंटे हैं । या तो हाउस यह ले सकता है या वह ले सकता है । जो आप चाहते हों उसे ले लिया जाय ।

श्री उइके : मैं समझता हूं कि जो विषय चल रहा है उस को लेने की अधिक आवश्यकता है क्योंकि इस में दो या ढाई सौ आदिवासियों का सवाल है । यहां पर विचार के बाद इस का इम्प्लिमेंटेशन हो सकेगा । यह देहातों की समस्या है अगर यह इस सेशन में पूरी नहीं होगी तो ठीक नहीं रहेगा ।

Shri Basumatari (Goalpara): If it is left to the next Session, it will create a very bad impression outside.

श्री दाजी (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कमिशन की रिपोर्ट आ चुकी है । अगर किसी माननीय सदस्य को यह गलतफहमी हो कि चर्चा हो जाने से उस का इम्प्लिमेंटेशन शुरू हो जायेगा तो ऐसी बात नहीं है । मेरी राय है कि दो घंटे इस के लिये अपर्याप्त हैं क्योंकि थोड़ी सी ही बहस हुई है । इस लिये इस को अगले सेशन में लिया जाय और कल का समय ला ऐंड आर्डर सिचुएशन पर लगाया जाय ।

Shri Basumatari: We appeal to the House. It will create a very bad impression outside.

Shri Hari Vishnu Kamath: I move formally:

> "That the discussion on the Scheduled Tribes and Areas Commission's Report be postponed to the next session, and the discussion on the law and order situation in Delhi be taken up tomorrow."

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाई हैं उन के जज्बात को देखना है, इसलिये हमें इस की तरफ भी ध्यान देना है । उन को नाराज नहीं करना है । अगर वह इसे चाहते हों और जोर दें कि नहीं, यह जरूर चले, तो मैं चलाऊंगा इसे ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर अमल नहीं होगा तो बहुत नुक्सान होगा ।

Shri Dasaratha Deb (Tripura East): Sir, I move an amendment to Shri Kamath's motion.

"That this discussion may be deferred till the next session but must be taken up in the first week of the next session."

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, I accept the amendment.

अध्यक्ष महोदय : अगर इस पर हाउस में इत्तफाक हो कि यह पहले हफ्ते के अन्दर हो जाये और दूसरों को ऐतराज न हो तो ठीक है, इस को अगले सेशन के पहले हफ्ते में रखा जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : इस पर समय भी ज्यादा रखा जाय उस समय ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यही कहना था कि बढ़ा देंगे आधा या एक घंटा, यह मुझे मंजूर है ।

एक माननीय सदस्य : यह चीज आगे के लिये नहीं बढ़ना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इसी सेशन में इस पर विचार हो ।

अध्यक्ष महोदय : इसी सेशन में ? अच्छा तो मैं एक फार्मल मोशन आपके सामने रखता हूं । जैसा चाहें आप फैसला करें । मैं अपना जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं हूं । मैं उस पर इस का छोड़ता हूं, जो मर्जी हो वह कर दे, मुझे मंजूर है ।

एक माननीय सदस्य : आप वोट ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप ऐतराज करेंगे वोटिंग पर ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री गणपति राम: मेरा एक सुझाव है । देश की जनता को यह शुबहा कहीं न हो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के मामले को हम पीछे ढकेलते जाते हैं । इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब इतने नोंके बाद यह चीज हमारे सामने आई है तो फिर इस को टाला न जाय ।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसी अपील वह करते हैं तो फिर शास्त्री जी ही मान जायें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अगर यह आशा हो कि कल रिपोर्ट पर चर्चा होने के पश्चात् ही हमारे आदिवासी भाइयों का भला होने वाला हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सोच लीजिये । कल का समय भी सीमित है क्योंकि नानआफिशल बिजिनेस भी कल होगा । अगर अगले अधिवेशन में आप इस को पहले सप्ताह में ले लेंगे तो, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, चर्चा अधिक हो सकेगी । अभी तो जल्दबाजी में निर्णय हने की सम्भावना है और यह ठीक नहीं है ।

श्री उइके : मैं कहना चाहूंगा कि शास्त्री जी सोच लें । स्टेट गवर्नमेंट्स को बहाना इस से मिल जायेगा । आप भले ही आधा घंटा हमारे टाइम में से ले लीजिये, इस में कोई हर्ज नहीं है । शहर के लिये हम देहात के लोग अपने टाइम का दान कर देंगे, लेकिन इस को अभी ही लिया जाय ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा नम्र निवेदन है कि यदि अगले सेशन में पूरा दिन इस कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये दे देंगे तो हमारे सहयोगी उस को मंजूर कर लेंगे कि कल ढाई घंटे देने के बजाय उस को पूरा दिन मिले ।

अध्यक्ष महोदय : यह लालच तो आप दें सकते हैं, मैं नहीं दे सकता ।

श्री भंवरलाल मीना (उदयपुर) : मेरा सुझाव यह है कि आज भी इसे कान्टिन्यु रखा जाय और अगले सेशन में भी इस रिपोर्ट पर डिस्कशन चलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप यह बर्दाश्त कर रहे हैं कि कल के बाद भी वह अगले सेशन में आये तो उन का केस मजबूत हो जायेगा ।

श्री मू० भू० वैद्य (साबरमती) : बात ऐसी है कि शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट जो थी वह आप ने अगले सेशन में रख दी है, अगर इस पर भी विचार स्थगित किया जायेगा तो जो हिन्दुस्तान की पिछड़ी हुई जातियां हैं वह इस का यह अर्थ निकालेंगी कि चूंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं इसलिये पार्लियामेंट हमें और भी पीछे डालना चाहती है । इसलिये यह चर्चा चालू रखनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मंजूर नहीं करेंगे कि यह रिपोर्ट अगले सेशन में चले तो इस पर चर्चा जारी रहेगी । दूसरी चीज, उन साहबों के लिये जो कि इस विषय में चिन्तित हैं, यह है कि वह नानआफिशल बिजिनेस के लिये मनवा सकें तो मनवा लें ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि नान आफिशल बिजिनेस की जगह ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को ले लिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आर्डर नहीं दे सकता, आप मनवा सकें तो अच्छा है ।

18.10 hrs.

ISSUE OF INDUSTRIAL LICENCES*

Shri Warior (Trichur): Sir, This discussion had been necessitated by the answers given to starred question No. 529 on the 22nd August, 1962. Not only that. There was a growing fear and apprehension in the mind of the public also that there was more and more concentration of industrial and economic power. Every year, after the licensing period is over, this fear is only on the increase and not on the decrease. That is why this discussion is highly necessary periodically to bring home to the Government that whenever it tends to violate the basic policies underlined by the resolution adopted by the Government and the Parliament, the Government must be pulled up, and it must be made known to them that it is time to stop them when they reverse the policy and to see that the industrial policy as laid down is carried out in its full implication.

The industrial policy resolution clearly says that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. It is necessary to see whether this high ideal set forth and the principle enunciated in the industrial policy resolution has been materialising in actual practice. In 1957, when a survey was made by some private agencies, we found that the directorships of big companies are closely held within the hands of a few tycoons in industry. For instance, Sakhania had 107 directorships. It may not be just one Sakhania, but the Sakhania family as a whole controlled 107 directorships. Dalmia had 103; Ruia had 80; Birla had 60; Goenka had 55; Podar had 55; Sangur had 52; Jathaya had 51 and so on. The others had less than 30 to 35.

Not only that. We found also that the total assets controlled by this complex of industry ran to crores of rupees. I will give you only three or four instances. Tatas controlled Rs. 290 crores. worth of assets. Birlas controlled Rs. 291 crores. Martin Burn controlled Rs. 88 crores. Dalmia Jain controlled Rs. 50 crores. Like this, there are a few more houses which are controlling the major assets already in the industry. When this is continuing, because of this picture before our mind, we are always ap-

*Half-An-Hour Discussion.